न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/2022 राजस्व अपील

1. भगवानसहाय पुत्र गंगासहाय जाति गुर्जर निवासी पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय उपतहसीलदार सिकन्दरा दिनांक 28.01.2022 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम भगवानसहाय मुकदमा संख्या 312/2021 अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एक्ट)

उपस्थिति : श्री जगजीवन राम बैरवा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः 29.05.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसील सिकन्दरा के समक्ष इस आशय की पेश की गई की ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित आराजी खसरा नम्बर 134 रकबा 0.50 है. भूमि पर सम्वत 2078 में अपीलान्ट ने काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 28.01.2022 पारित कर अपीलान्ट को 30 दिवस के सिविल कारावास व पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त निर्णय दिनांक 28.01.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.01.2022 खिलाफ कानून उप नियम व पत्रावली के तथ्यों के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया और ना ही कोई काश्त की है। पटवारी हल्का ने झूंठी रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को जवाब का कोई मौका नहीं दिया व सुनवाई व सबूत पेश करने का मौका दिया। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत ही नहीं है। यदि अपीलान्ट का किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलान्ट द्वारा उक्त अतिक्रमण को हटा लिया जावेगा। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित खसरा नम्बर 134 रकबा 0.50 है. भूमि पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलान्ट को 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट ने ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित खसरा नम्बर 134 रकबा 0.50 है. भूमि पर सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलान्ट का यदि किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलान्ट द्वारा उक्त अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा लिया जावेगा। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 0.50 है. पर अपीलान्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा लिया जाना यदि उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा सत्यापित किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 28.01.2022 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जावे। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 28.01.2022 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय आज दिनांक 29.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा